# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

## रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 42/2021–22

मानसिंह हाँसदा.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

अरूण दर्वे.....उत्तरकारी।

आदेश

18.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–53/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–02.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध–कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता का विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा ठाड़ी का गेंजर प्रधान कदरू हाँसदा थे। उनके मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र राम सिंह हाँसदा को पी0ए0 वाद सं0–02/1942–43 द्वारा प्रधान नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता राम सिंह हाँसदा के पोता है। उनके द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय आवेदन दाखिल किया गया किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के नियुक्त किया गया। उनका यह भी कहना है कि उत्तरकारी के पास ऐसा कोई साक्ष्य/ आदेश की प्रति नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उत्तरकारी के पिता की प्रधान पद पर नियुक्त हुई थी। मात्र अंचल कार्यालय के रजिस्टर II में भूवन दर्वे प्रधान दर्ज है। उत्तरकारी भूवन दर्वे का पुत्र है। इसी आधार पर उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो न्याय संगत नही है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि उत्तकारी के पिता को कब प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। मात्र रजिस्टर II में दर्ज के आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है उनके द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया आदेश अथवा साक्ष्य

संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे सही नहीं माना जा सकता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रजिस्टर II में किस आधार पर भूवन दर्वे का नाम दर्ज किया गया है, वह मौजा का अंतिम नियुक्त प्रधान थे अथवा नहीं उनकी नियुक्ति कब हुई थी ? इस तथ्यों की पूर्ण जाँचकर तथा उभय पक्षो को सुनकर आदेश पारित किया जाय। सर्वप्रथम धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्ति पर विचार किया जाय। यदि दोनो पक्ष का दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत नहीं बनता हैं तो माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश जो BLJR 448 : 1980 BLJ 212 (DB) Thakur Hembrom Vrs State of Bihar में प्रकाशित है के अनुसार संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा–5 पर विचार किया जाय जो निम्न प्रकार उदृत है :–

It was held that authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

23 Dbd0-31/1/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:17:24 +05:30
Location: 169.254.227.244